

निग० 5696/2018/रीवा/भू-श०

73

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रोवा ॥ म० प्र० ॥



श्रीमती रमादेवी पत्नी सुरेश प्रसाद तिवारी सा. लूक तहो जवा

जिला रोवा म० प्र० ..... निगरानीकर्ता

बनाम

राजबहोर तिवारी तनय श्री शिवनाथ तिवारी सा० लूक तहो जवा,

जिला रोवा म० प्र० ..... गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरुद्ध निर्णय अनुविभागीय अधिकारी

अनुभाग तयोथर ॥ जवा ॥ के र० प्र० क्र० 077ए27/

जमील 2017-18 आदेश दिनांक 12-9-18 -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं.

1959 ई०।

अधि० श्री सुभद्रा राय  
मिस्त्रा का (पेशी)  
18-9-18

राजस्व मण्डल कोर्ट  
राजस्व मण्डल नं० ३० बरौचर  
रोवा

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त इतिहास निम्न है :-

ग्राम लूक की आराजी नम्बर 68 रकवा 0.146 का वटवारा

नामान्तरण निगरानीकर्ता के नाम प्रकरण क्र० 36ए27 वर्ष 2006-07 दि०

28-06-2007 को प्रमाणित हुआ निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर काबिज दखील

है कुछ भाग पर सकान बना है तथा कुछ भाग पर निस्तार होता है। -

निगरानीकर्ता तो वटवारा के बाद यही मानती थी कि राजस्व रिकार्ड

रमा तिवारी

